न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 85/2025

प्रार्थी

1. सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा पंचायत समिति शिवगंज तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अध्यक्ष, केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड केसरपुरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नगेन्द्र मेडतिया, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 16.02.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत, वेराजेतपुरा द्वारा अप्रार्थी केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. केसरपुरा के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 08.06.1990 मिसल संख्या 6/90–91 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही में प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी और जबाव पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही से इस न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश दिए गए एवं उक्त आदेश की पालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/564 दिनांक 23.04.2025 के द्वारा इस प्रकरण की मूल पत्रावली इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रेषित किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई की गई। अतः प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 02

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत वेरा जेतपुरा का सरपंच हैं जो पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचित हुआ है एवं वेरा जेतपुरा ग्राम पंचायत का कार्यालय अधीक्षक होने से अप्रार्थी के विरूद्ध जारी एक फर्जी एवं कुटरचित पट्टा विलेख निरस्त करने हेतु यह निगरानी पेश की जा रही हैं। यह कि सम्पर्क पोर्टल पर एक शिकायत इस आशय की दर्ज कराई कि अप्रार्थी केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से वेरा जेतपुरा में एक आवासीय भूखण्ड़ का एक पट्टा विलेख दिनांक 08.06.1990 को 6,313 वर्गफीट का जारी किया हुआ है, जिसका कब्जा प्राप्ति हेतु शिकायत पेश की गई है, जिसके आधार पर जाँच करने पर पाया गया कि अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा विलेख फर्जी एवं कुटरचित पट्टा विलेख है जो ग्राम पंचायत वेरा जेतपुरा द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त तथाकथित फर्जी पट्टा विलेख के आधार पर अप्रार्थी किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से उक्त पट्टा विलेख जो अप्रार्थी के नाम किया हैं, वह सर्वथा ही निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी द्वारा जो शिकायत पेश की गई हैं और उक्त आधार पर प्रार्थी द्वारा जाँच की गई और जाँच के दौरान पाया गया कि जिस पट्टा विलेख का अप्रार्थी उल्लेख कर रहा है उक्त भूमि पर अप्रार्थी का आज दिन तक कोई कब्जा नहीं रहा है। बल्कि उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से रेबारी जाति के व्यक्तियों के कच्चे मकान बने हुए है एवं मौके पर निवास कर रहे है एवं अप्रार्थी को ग्राम सेवा सहकारी समिति केसरपुरा को पूर्व सहकारी मंत्री उदयलाल आंजणा के आदेशानुसार आखरिया चौक वेरा जेतपुरा में 16,82,000/– अक्षरे सोलह लाख बयासी हजार रूपये खर्च कर भवन निर्माण कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवाया था एवं उक्त भवन दिनांक 03.02.2022 को पूर्ण निर्मित होने पर कब्जा सुपूर्द कर दिया था, जिस पर अप्रार्थी के कब्जा सुपूर्दगी बाबत् हस्ताक्षर है। जहां उक्त सोसायटी का भवन खाद्य भवन भण्डार हेतु संचालित है एवं ग्राम वेरा जेतपुरा के महादेव मंदिर के पास केसरपुरा ग्राम पंचायत सहकारी समिति अप्रार्थी के सोसायटी में निर्मित दुकानों में गोदाम के रूप में उपयोग लिया जा रहा है एवं अप्रार्थी के पास पूर्ण रूप से गोदाम मौके पर स्थित हैं इससे यह स्पष्टतया जाहिर है कि यदि ग्राम पंचायत वेरा जेतपुरा द्वारा अप्रार्थी को सोसायटी भूमि का पट्टा विलेख जारी किया होता तो अवश्य ही उक्त भूमि पर भवन निर्माण व सोसायटी का गोदाम संचालित होता एवं इससे 33 वर्ष पश्चात् उक्त पट्टा विलेख के आधार पर भूमि की मांग नहीं करते एवं आज दिन तक उक्त पट्टा विलेख में कभी भी ग्राम पंचायत से भूमि की मांग नहीं की है एवं न ही उक्त पट्टा विलेख का कोई उल्लेख किया है और जिस पट्टा विलेख की भूमि पर सोसायटी के नाम जारी किया है, उक्त भूमि पर 50 वर्षो से रेबारी जाति के लोग अपने कच्चे मकान में परिवार सहित निवास कर रहे है एवं उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है न ही कभी कब्जा सुपूर्द किया है। बल्कि उक्त पट्टा विलेख फर्जी व कुटरचित है। यह कि अप्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी संस्था से यदि भूमि का आवंटन किया जाता तो कानूनन पंचायत मीटिंग में उसका प्रस्ताव लेकर विधिवत् रूप से आवंटन किया जाता, लेकिन उक्त पट्टा विलेख को देखने से स्पष्टतया जाहिर होता है कि पट्टा विलेख में कोई प्रस्ताव उल्लेख नहीं है और यदि संस्था द्वारा आवंटन किया जाता तो पट्टा विलेख में निःशुल्क का उल्लेख होता एवं कोई आवेदन किया हो ऐसा भी कोई उल्लेख पट्टा विलेख में नहीं है। केवल मात्र तत्कालीन सरपंच द्वारा फर्जी व कूटरचित तरीके से बिना कोई पंचायत राज अधिनियम के नियमों का पालना किये बगैर जो पट्टा विलेख जारी किया है, वह सर्वथा ही निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा विलेख की सम्पूर्ण जाँच पंचायत के रेकर्ड में की गई लेकिन पंचायत रेकर्ड में ऐसा कोई पट्टा विलेख का उल्लेख नहीं है एवं दायरा रजिस्टर में भी कोई उल्लेख नहीं हैं एवं न ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा विलेख बाबत् दस्तावेज पर मिसल ही उपलब्ध हैं एवं न ही पंचायत बैठक में रजिस्टर का कोई रेकर्ड उपलब्ध है न ही कोई इन्द्राज है। इस प्रकार जो पट्टा विलेख व तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना किसी नियमों की पालना किये बगैर पंचायत राज नियमों से परे जाकर विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग कर एवं अपने पद का दुरूपयोग कर फर्जी व कुटरचित तरीके से जो पट्टा विलेख जारी किया है वह सर्वथा ही निरस्त किये जाने योग्य है एवं अप्रार्थी को

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 03

सोसायटी का भवन व गोदाम उपलब्ध है, जो स्वयं पंचायत की आबादी भूमि पर बने हुए है और जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराकर भवन अप्रार्थी के सोसायटी को सुपूर्द किया हैं, जहां पर सोसायटी संचालित हो रही है, जो संलग्न फोटो से स्पष्टतया जाहिर है एवं कानूनन भी पंचायत राज अधिनियम नियमो के तहत 6313 वर्गफीट पट्टा विलेख जारी करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस कारण भी उक्त पट्टा विलेख निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी सहकारी सोयायटी बस स्टैण्ड वेरा जेतपुरा में जो बिल्डिंग बनी हुई हैं जो कि पिछले 15 वर्षो से नकारा पड़ी हुई है और जिसका कोई उपयोग सोसायटी नहीं ले रही है। केवल मात्र फर्जी पट्टा विलेख के आधार पर भूमि को जबरदस्ती लेना चाहती है, जबकि पट्टे शुदा भूमि पर 50 वर्षो से कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि मौके पर रेबारी जाति के लोग निवास कर रहे है एवं चार दिवारी बनी हुई है इस कारण भी उक्त पट्टा विलेख निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद प्रस्तुत हैं, हालांकि निगरानी हेतु कोई म्याद नहीं हैं लेकिन प्रार्थी को उक्त पट्टा विलेख की जानकारी सम्पर्क पोर्टल पर दिनांक 02.03.2024 को शिकायत करने पर एवं ग्राम पंचायत से रिपोर्ट मांगने पर जानकारी हुई। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई है। इस कारण निगरानी अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा विलेख दिनांक 06/1990–91 दिनांक 08.06.1990 को निरस्त करना फरमावे।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत के सरपंच की हैसीयत से प्रार्थी को यह निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया यह निगरानी खारिज किए जाने योग्य है तथा गलत तथ्यों के आधार पर अधिकार क्षेत्र से परे जाकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अध्यक्ष केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति एक संस्था है, जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है। समिति के हक में ग्राम पंचायत वेरा जेतपुरा, तहसील शिवगंज द्वारा पट्टा जारी किया गया है, जो विधि अनुसार है। उक्त आलौच्य पट्टा फर्जी व कुटरचित दस्तावेज होने का कथन गलत है। अप्रार्थी केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति उपरोक्त पट्टे की भूमि पर वर्ष 1990 से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। समिति की भूमि का पट्टा फर्जी व कुटरचित तरीके से तैयार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समिति ने अपने स्वामित्व की भूमि पश्चिम दिशा की तरफ उक्त पट्टा की भूमि पर दीवार का निर्माण कार्य भी अप्रार्थी द्वारा पुराने समय में करवाया गया था। यह कि लाबुसिंह वर्तमान में निर्वाचित अध्यक्ष है, जिसका उक्त सम्पत्ति में कोई निजी हित नहीं है। अप्रार्थी केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, केसरपुरा की पट्टा शुदा भूमि पर रेबारी जाति के व्यक्ति लक्ष्मीदेवी वगैरा द्वारा अक्टूबर, 2023 में अवैद्य रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास करने पर अप्रार्थी द्वारा पुलिस थाना सिरोही में कार्यवाही की तथा ग्राम पंचायत में भी कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने पर जन सुनवाई कैम्प में दिनांक 11.03.2024 को कार्यवाही हेतु पत्र दिया गया था तथा उसकी प्रतिलिपि सभी विभाग को दी गई थी लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया तथा न ही कोई प्रभावी कार्यवाही हुई, जिस पर अप्रार्थी ने वरिष्ठ सिविल न्यायालय, शिवगंज के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद व प्रार्थना पत्र में न्यायालय द्वारा लक्ष्मीदेवी वगैरा के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया है, जो आज भी प्रभावी है। रेबारी जाति के व्यक्ति लक्ष्मी देवी वगैरा प्रभावशाली होने से राजनैतिक प्रभाव रखते है, इसी के चलते प्रार्थी सरपंच से गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने, जिसके आधार पर जॉच करने, जॉच में पट्टा फर्जी पाए जाने एवं पट्टा वेराजेतपुरा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ नहीं होने के कथन मनगढंत है। प्रार्थी सरपंच, ग्राम पचांयत ने अतिक्रमियों के साथ मिलकर सोसायटी के भूखण्ड को हडप करना चाहता है. इसी दुर्भावनापुर्ण आशय से गलत तथ्यों

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 04

के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी के स्वामित्व की भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है तथा पश्चिम दिशा में अप्रार्थी समिति ने दीवार का निर्माण कार्य पुराने समय से करवाया हुआ है तथा समिति का भवन वेराजेतपुरा में बना है लेकिन समिति के गोदाम भवन के लिए उक्त भूमि प्रस्तावित है तथा बजट प्राप्त नहीं होने के कारण उस पर अभी निर्माण कार्य नहीं हो सका है। यह कि अप्रार्थी के हक में पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है तथा पट्टा पर प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं होने मात्र से पट्टे को संदिग्ध नहीं बनाया जा सकता है। प्रार्थी स्वयं के कथनों में विरोधाभाष है, स्वयं के द्वारा पट्टे को फर्जी व कूटरचित बताया जा रहा है तथा स्वयं ही पूर्व सरपंच पर विधि अनुसार पट्टा जारी नहीं किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। उक्त दोनों कथनों में विरोधाभाष होने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी रेबारी जाति के व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने तथा अप्रार्थी समिति को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से गलत कथन कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। यह कि ग्राम पंचायत के रेकर्ड को संधारित करने व सम्भाल कर रखने का दायित्व ग्राम पंचायत का है, अप्रार्थी का इसमें कोई दायित्व नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा यदि रेकर्ड को सुरक्षित नहीं रखा गया तथा प्रार्थी या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा रेकर्ड को खुर्द बुर्द कर दिया गया है तो इससे अप्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है तथा न ही अप्रार्थी को उसके हक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम/नियम में 6313 वर्गफीट पट्टा जारी नहीं किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी के हक में पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैद्यता नहीं है। यह कि अप्रार्थी के हक में पट्टा वर्ष 1990 में जारी किया गया था, जिसे 36 वर्ष की लम्बी अवधि हो चुकी है, सम्पत्ति में अप्रार्थी के हक अधिकार निहित हो चुके है, इतनी लम्बी अवधि के बाद निगरानी में वर्णित उपरोक्त प्रकार के आक्षेप नहीं लगाए जा सकते है तथा न ही पट्टे की वैद्यता को चुनौती दी जा सकती है। अप्रार्थी के हक में पट्टा विधि अनुसार जारी होने के सम्बंध में उपधारणा है। 30 तीस वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज की विश्वसनियता पर प्रश्नचिन्ह कानूनन नहीं लगाया जा सकता है। इस सम्बंध में धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अवलोकनीय है, जिसके अन्तर्गत जहाँ कि कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में उपधारणा 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ठ मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर, और उसका हर भाग, जिसका किसी विशिष्ठ व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्थित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्थित है। इस मामले में भी पट्टा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया है, जो 30 वर्ष से अधिक पुराना दस्तावेज है, जो अप्रार्थी के वैद्य कब्जे से प्रस्तुत किया गया है, जिससे निगरानी खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी के हक में पट्टा ग्राम पंचायत वेरा जेतपुरा द्वारा जारी किया गया है। यह निगरानी ग्राम पंचायत जेतपुरा के सरपंच की हैसीयत से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी ग्राम पंचायत अपने स्वयं द्वारा जारी पट्टा को निगरानी के जरिए चुनौती नहीं दे सकती है, ग्राम पंचायत अपने द्वारा किए गए कृत्यों के लिए विबंधित है, इस मामले में law of Estoppel लागू होता है, जिससे निगरानी कानूनन परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी एक सरकारी उपक्रम/संस्था होने तथा अप्रार्थी के हक में पट्टा जारी होने से उक्त पट्टा फर्जी बनाए जाने से किसी भी व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं हो रहा है बल्कि आम जनता के हितों में उक्त सम्पत्ति का उपयोग होना है। प्रार्थी द्वारा अवश्य ही दुर्भावनापूर्ण आशय से येनकेन प्रकार से सोसायटी की सम्पत्ति को हडप करना चाहता है तथा अतिक्रमियों का सहयोग कर सोसायटी की भूमि को हडप करना चाहता है, जिससे निगरानी खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सव्यय खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 05

उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत, वेराजेतपुरा द्वारा अप्रार्थी केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. केसरपुरा के पक्ष में पट्टा दिनांक 08.06.1990 मिसल संख्या 6/90–91 क्षेत्रफल 6313 वर्गफीट का राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में से जारी किया गया है।

जहां तक अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किए जाने का कथन है, तो इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है। साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा अप्रार्थी के हक में उक्त विवादित पट्टा दिनांक 08.06.1990 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी का आज दिन तक कोई कब्जा नहीं रहा है। बल्कि उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षों से रेबारी जाति के व्यक्तियों के कच्चे मकान बने हुए है एवं मौके पर निवास कर रहे है। इसके विपरीत अप्रार्थी अधिवक्ता का तर्क है कि अप्रार्थी केसरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति उपरोक्त पट्टे की भूमि पर वर्ष 1990 से काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रही है। समिति ने अपने स्वामित्व की भूमि पश्चिम दिशा की तरफ उक्त पट्टा की भूमि पर दीवार का निर्माण कार्य भी पुराने समय में करवाया गया था तथा समिति एक सरकारी उपक्रम/संस्था होने से उसका उक्त सम्पत्ति में कोई निजी हित नहीं है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क तो किया गया है कि उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है, परन्तु प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी सहकारी समिति का कब्जा नहीं होकर अन्य रेबारी जाति के व्यक्तियों का कब्जा है। इसके अलावा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की जानकारी ग्राम पंचायत को नहीं थी। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टेशुदा भूखण्ड पर यदि अन्य रेबारी जाति के

....पेज नं. 06

जिला कलेक्टर, सिरोही

व्यक्तियों का पुराना कब्जा होता तो उनके द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय से पट्टा जारी करने की मांग की जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रार्थी अधिवक्ता के कथनानुसार ग्राम पंचायत की जानकारी में एवं अन्य रेबारी जाति के व्यक्ति, जिनका प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया गया है, उनकी जानकारी में भी उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को पट्टा जारी नहीं किया गया था, तो ऐसी स्थिति में कब्जाधारक द्वारा पट्टे की मांग की जाती, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी सहकारी समिति के अलावा किसी अन्य कब्जाधारक व्यक्ति द्वारा पट्टे की मांग की गई हो। अतः पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को अन्य किसी व्यक्ति के कब्जे अधिपत्य का भूखण्ड होना नहीं माना जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित पट्टेशुदा भूखण्ड पर अन्य व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर अप्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस थाना सिरोही, ग्राम पंचायत कार्यालय एवं जन सुनवाई कैम्प में भी शिकायत प्रस्तुत की गई, जहां उसका निवारण नहीं होने पर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, शिवगंज में वाद भी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा दिनांक 08.06.1990 मिसल संख्या 6/90–91 क्षेत्रफल 6313 वर्गफीट से सम्बन्धित दस्तावेज, मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है एवं न ही पंचायत बैठक में रजिस्टर का कोई रेकर्ड उपलब्ध है न ही कोई इन्द्राज है। इस प्रकार जो पट्टा विलेख व तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना किसी नियमों की पालना किये बगैर पंचायत राज नियमों से परे जाकर विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग कर एवं अपने पद का दुरूपयोग कर फर्जी व कुटरचित तरीके से पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज, मिसल, बैठक रजिस्टर को संधारित रखने का दायित्व ग्राम पंचायत का रहता है। यदि किसी पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज, मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में मिल नहीं रही है। केवल इस आधार पर पट्टे को कूटरचित माना जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, जबकि पट्टाधारक अप्रार्थी के पास उक्त विवादित पट्टे की प्रति उपलब्ध है, जिस पर तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर एवं उनके पद की मौहर लगी हुई है। इसके अलावा प्रार्थी अधिवक्ता स्वयं के द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे को फर्जी व कूटरचित बताया जा रहा है तथा स्वयं के द्वारा ही पूर्व सरपंच पर विधि अनुसार पट्टा जारी नहीं किए जाने के सम्बन्ध में कथन किए जा रहे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के स्वयं के ही कथनों में विरोधाभाष प्रतीत हो रहा है तथा उनके स्वयं के ही कथनों से यह स्पष्ट नहीं है कि वादग्रस्त पट्टा फर्जी व कूटरचित है या तत्कालीन सरपंच द्वारा विधि अनुसार जारी नहीं किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी पट्टे को जारी करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता बरती जाती है, तो इस सम्बन्ध में उक्त पट्टे को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 302 में उल्लेखित पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा विकास अधिकारी को दी गई है। चूंकि यह प्रकरण प्रार्थी वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त वादग्रस्त पट्टा भी तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा ही जारी किया गया है। अतः प्रार्थी वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा पूर्व में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा जारी उक्त वादग्रस्त पट्टे के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त पटटे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जांच की गई हो या किसी भी जांच अधिकारी द्वारा उक्त पट्टे के विरूद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई हो, ऐसा

जिला कलेक्टर, सिरोही

....पेज नं. 07

किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा उक्त विवादित पट्टे के सम्बन्ध में बिना कोई जांच अधिकारी नियुक्त किए एवं न ही पट्टे की वैधता एवं सत्यता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई वैध जांच किए बगैर ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रशासक ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/एसपी–1ग्रा.प.जैतपुरा दिनांक 26.12.2025 के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1990 में किसी भी व्यक्ति को कोई पट्टा विलेख जारी नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि वर्ष 1990 में बिलानाम भूमि थी। चूंकि प्रार्थी द्वारा पत्र में यह अंकित तो किया गया है कि वादग्रस्त भूमि वर्ष 1990 में बिलानाम भूमि थी, परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि वर्ष 1990 में बिलानाम भूमि थी तथा ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1990 में किसी भी व्यक्ति को पट्टा जारी नहीं किया जाना भी प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। यहां यह गौर करने योग्य है कि अप्रार्थी समिति एक सरकारी उपक्रम/संस्था है, जिसका ग्राम पंचायत से मिलकर कूटरचित तरीके से समिति के नाम पट्टा जारी करवाने पर उसका कोई निजी हित होना प्रतीत नहीं होता है और अप्रार्थी समिति के पास ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में अन्यत्र स्थान पर गोदाम स्थित होने मात्र से भी उक्त विवादित पट्टा की वैधता समाप्त नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह न्यायालय ग्राम पंचायत वेराजेतपुरा द्वारा अप्रार्थी के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा दिनांक 08.06.1990 मिसल संख्या 6/90–91 क्षेत्रफल 6313 वर्गफीट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही